# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 2021/00003**

गुगनराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रामका तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

**–अपीलांट**

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.10.2020, प्र. सं. 70/2020
अनवान गुगनराम बनाम स्टेट आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

उपस्थितः–
श्री मदनमोहन जोशी अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 24.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीएक्ट में एक प्रार्थना–पत्र पेश किया कि वादी के पिता धन्नाराम को ख. नं. 318 की 20 बीघा व 315 की 50 बीघा बारानी भूमि अलॉट हुई थी जो रोही मौजा रामकां के ख. नं. 1040 की 4.668 है0, ख0 नं. 1366/1040 की 7.590 है0, 1382/1040 की 0.759 है0 में परिवर्तित हुई। अलॉट मेंट के बाद से यह भूमि पहले वादी के पिता एवं बाद में वादी के कब्जा काश्त में रही है एवं आज भी इस पर वादी की काश्त है। वर्तमान जमाबन्दी में गलत रूप से रकबाराज दर्ज चल रहा है जिससे वादी के हितों का हनन होता है। रिकार्ड में रकबा राज दर्ज होने के कारण अप्रार्थी प्रार्थी को भूमि से बेदखल करना चाहता है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि से बेदखल न करने व तावान की कार्यवाही नहीं करने तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थी स्टेट ने प्रार्थना–पत्र का विरोध किया और प्रश्नगत भूमि को जोहड़ पायतन की भूमि बताया एवं जोहड़ पायतन की भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायायल ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी नियमानुसार आवंटित की गयी थी, जिसपर प्रार्थी का आवंटन की दिनांक से लगातार कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि नये खसरों में परिवर्तित हो गई। नियमानुसार आवंटन बाद गुजरने मियाद गैर खातेदारी में तब्दील हो चुका है जिससे प्रार्थी के खातेदारी हकूक की घोषणा करवाने का अधिकारी है। सहवन से प्रार्थी के नाम की जगह रकबा राज लिखा गया जिसका प्रार्थी के हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रार्थी बतौर मालिक काबिज रहा है जो 1963 से लगातार काबिज चला आ रहा है। रकबा राज दर्ज होने से अपीलाण्ट को कब्जा से बेदखल किया जा सकता है जिससे अपीलाण्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने 1974 आरआरडी पेज 475, 2016 (1) आरआरटी पेज 624, एवं डीबी सीविरिट रिट नं. 13912/2018 राज. उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.10.2018 प्रस्तुत किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि गैरमुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि है तथा वर्तमान में भी प्रश्नगत रकबा जोहड़ पायतन दर्ज है जोहड़ पायतन की भूमि किसी को भी आवंटित नहीं की जा सकती है। उपरोक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व जब साबिका खसरा में थी तब भी जोहड़ पायतन गै0 मु0 दर्ज थी और जोहड़ पायतन की भूमि को अपीलाण्ट आवंटन करवाने का अधिकारी नही है। इस भूमि में वर्षा का पानी एकत्रित होता है जिसका आम मनुष्य व पशु उपयोग करते हैं। सेटलमेंट विभाग को रिकार्ड ऑफ राईट में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था तथा ना ही सेटलमेंट विभाग को भूमि आवंटन करने का अधिकार। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट विभाग द्वारा ऐसा कोई भी इन्द्राज किया गया है तो वह मात्र भूलवश है। आरटीएक्ट की धारा 16 में प्रावधान है कि गैरमुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर कोई भी व्यक्ति खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने बहुत से निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि गै0 मु0 जोहड़ पायतन की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्यों कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियॉं होने एवं प्रकरण के निस्तारण में अहम दस्तावेज होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

8. जहां तक गुणावुण का प्रश्न है, अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत रकबा उसे आवंटित किया गया है जो सहवन से रकबाराज दर्ज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन की भूमि है तथा आरटीएक्ट की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर कोई व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के द्वारा भी यह यह रकबा प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/XI/21

**(करतारसिंह पूनिया)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**हनुमानगढ़**

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:48:23 IST
Reason: SelfAttested